

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 128 / 2020-21 2017

लेख्य प्रकार - अंचल अधिकारी


23.11.20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लवित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के गप भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागाध्य परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुबंध/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदीयों को जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खसरा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का
कौलवादी	01	-	0.85	श्री लक्ष्मण शर्मा पति बसन्त सिंह	पृ0सं0/भाग 152/5

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.11.20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

23.11.20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 152/5 बनाम श्री लक्ष्मण शर्मा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की सूचना की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैगल का नाम - श्री श्रीराम कर्कट परिवारानभिर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - श्री. खार

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
क) महराजपुर	99	1	-	0.85

3. जमाबंदी पंजी-II के जिला संख्या 1 पृष्ठ सं०-152 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1980-81
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतदार का नाम - श्री. खार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - श्री. खार
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नानान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैगल का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिश्चित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूयंदावस्ती -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राज्य प्रभिनय से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / यन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II सं
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अविश्वसनीयता दर्शाए गए वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	परसूची नं०



 23/11/20

अधिका. अधैध जनाबन्दी से संबंधित अंचल कार पर भरा जाने वाला एक सिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - 69/2 929 46

2. क) अधैध जनाबन्दीदार का नाम -

ख) अधैध जनाबन्दी की भूमि की विवरणी -

नाम	थाना सं०	खारा सं०	खजरा सं०	रकबा	खतिदानी विविध	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
अ-1/एए 236	99	1	-	0.85	शुद्ध	शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - परत
4. अधैध जनाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - 1950-51
5. उक्त जनाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - बाबू
6. पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
7. जमान्तरण/वाखिल --खासिज उपरान्त संधारित जनाबन्दी के मामलों में मूल जनाबन्दी रैद्यत की विवरणी -
8. अधैध जनाबन्दी कायम किये जाने का आधार
- अनिबंधित सादा हुकुमनामा
 - लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)
 - अधैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)
9. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य
- (100/- रुपये कम या इससे अधिक)
10. अधैध जनाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है?
- भूत पूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से -
 - अंचल/अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से -
 - वाखिल-खासिज/भू-इत्तांतरण/नानांतरण पंजी से -
11. क) अधैध जनाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है?
12. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं?
13. वर्ष 1954-55 में हुए फिख्ट युद्धांत पंजी में देखल कब्जा अधैध जनाबन्दीदार अथवा उनका पूर्वजों का नाम अंकित था?
14. अधैध जनाबन्दी का स्थलाय जांचोपरांत मन्दाय सहित स्पष्ट प्रतिवेदन -
15. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासा सहित -
16. अधैध निरीलेक का स्थलाय जांचोपरांत मन्दाय सहित स्पष्ट प्रतिवेदन -

शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध
शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध
शुद्ध/शुद्ध/शुद्ध

अधैध जनाबन्दी कायम होने का कारण यह है कि यह भूमि सुधार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुमंडल नवशो (अपर सहायक) कायम है।

(Handwritten signature and notes)